कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस नोट,जनपद फतेहपुर

दिनांक- 24.06.2026

थाना असोथर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार। कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक कुल्हाड़ी,एक फावड़ा व एक सब्बल बरामद।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 23.06.2026 को वादी छोट्टन कुमार पुत्र भगवानदीन निवासी सरकण्डी खास, थाना असोथर, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना असोथर पर तहरीरी सूचना दी गई कि पुराने पारिवारिक विवाद को लेकर दशरथ उर्फ संदीप, उसकी पत्नी केवल कुमारी, लवलेश पुत्र अमरजीत निवासी रमसगरा तथा कमलेश द्वारा वादी के पिता भगवानदीन एवं भाई पदुम कुमार पर कुल्हाड़ी, सब्बल एवं फावड़े से प्राणघातक हमला किया गया। बीच-बचाव करने पहुंचे वादी के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह घायल होकर बेहोश हो गया।

घटना में गंभीर रूप से घायल पदुम कुमार एवं भगवानदीन को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान पदुम कुमार की मृत्यु हो गई तथा भगवानदीन की हालत गंभीर बनी हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना असोथर पर मु0अ0सं0- 136/2026 धारा 105,110 बीएनएस पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरणः- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी थरियांव के कुशल निर्देशन में थाना असोथर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 136/2026 धारा 105,110 बीएनएस से संबंधित अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मुखबिर की सूचना पर नामजद वांछित अभियुक्तगण 1. कमलेश पुत्र भगवानदीन उर्फ भगोनवा उम्र 24 वर्ष निवासी सरकण्डी खास थाना असोथर जनपद फतेहपुर, 2. दशरथ उर्फ संदीप निषाद पुत्र भगवानदीन उर्फ भगवना उम्र लगभग 38

वर्ष निवासी सरकण्डी खास थाना असोथर जनपद फतेहपुर, 3. लवलेश पुत्र अमरजीत निषाद उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी रमसगरा थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर तथा 4. केवल कुमारी पत्नी दशरथ उर्फ संदीप उम्र 26 वर्ष निवासिनी ग्राम सरकण्डी खास थाना असोथर जनपद फतेहपुर में से अभियुक्त कमलेश एवं अभियुक्ता केवल कुमारी को दिनांक 23.06.2026 को मनावा मोड़ सरकण्डी रोड से तथा अभियुक्त दशरथ उर्फ संदीप एवं लवलेश को दिनांक 24.06.2026 को ग्राम रमसगरा थाना किशनपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए आज दिनांक-24.06.2026 को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्तगण से उपरोक्त की घटना के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण ने बताया कि पारिवारिक विवाद एवं आपसी कहासुनी के कारण उनके मध्य तनाव चल रहा था। दिनांक 23.06.2026 को प्रातः लगभग 08:00 बजे अभियुक्त दशरथ उर्फ संदीप अपने घर के सामने अपने साले लवलेश के साथ कार्य कर रहा था, तभी उसके पिता भगवानदीन एवं भाई पदुम वहां पहुंचे और आपसी विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ने पर अभियुक्त कमलेश एवं अभियुक्ता केवल कुमारी भी मौके पर आ गए। कहासुनी बढ़ने पर अभियुक्त दशरथ द्वारा घर के सामने रखा फावड़ा उठा लिया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा पदुम कुमार एवं भगवानदीन के साथ मारपीट की गई, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में दोनों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में पदुम कुमार की मृत्यु हो गई तथा भगवानदीन का उपचार चल रहा है। अभियुक्तगण ने बताया कि उनका उद्देश्य पदुम कुमार की मृत्यु कारित करना नहीं था, किन्तु मारपीट की घटना उनके द्वारा ही कारित की गई थी।

बरामदगी का विवरणः-

1.एक कुल्हाड़ी

2.एक फावड़ा

3.एक सबबल

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पताः-

1.कमलेश पुत्र भगवानदीन उर्फ भगवना उम्र करीब 24 वर्ष

2.दशरथ उर्फ संदीप निषाद पुत्र भगवानदीन उर्फ भगवना उम्र करीब 38 वर्ष

3.केवल कुमारी पत्नी दशरथ उर्फ सन्दीप उम्र करीब 26 वर्ष

निवासीगण सरकण्डी खास थाना असोथर जनपद फतेहपुर

4.लवलेश पुत्र अमरजीत निषाद निवासी रमसगरा थाना किशनपुर जनपद फतेहपुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री रमाशंकर सरोज थाना असोथर,जनपद फतेहपुर

2.उ0नि0 अंकुश यादव चौकी प्रभारी जरौली

3.उ0नि0 धीरज जायसवाल प्रभारी चौकी सरकण्डी

4.मु0आ0 सुखबीर सिह

5.आ0 भूपेन्द्र सिह

6.आ0 राहुल कुमार

7.रि0आ0 सूर्यजीत

8.महिला आ0 नीलम पटेल

9.महिला रि0आ0 रुचि राय